ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

बिल्टअप हाउसिंग योजना BHS-17 के अन्तर्गत ऋण प्राप्त आवंटियों को भवन समर्पण हेतु आवेदन करने की प्रकिया

1. भवन के समर्पण हेतु सभी आवेदन ऑनलाइन प्राधिकरण की वेवसाइट www.greaternoidaauthority.in पर स्थिति पोर्टल "Allottee's Online Services" के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।
2. आवेदक साधा पेपर पर भवन के समर्पण हेतु अनुरोध पत्र लिखकर हस्ताक्षर सहित प्राधिकरण के पोर्टल के माध्यम से सबमिट (Submit) करेगे।
3. यदि आवंटी द्वारा **KYA (Know your allotee)** नही कराया गया हो तो वह सवसे प्रथम प्राधिकरण में उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करेगे।
4. आवंटी को सम्बन्धित बैक, जिससे ऋण प्राप्त कर प्राधिकरण को भुगतान किया गया हो तथा सम्बन्धित बैक के पक्ष में प्राधिकरण से लियन अथवा वन्धक अनुमति ली गयी हो।ऐसे समस्त प्रकरणों में आवंटी को सम्बन्धित बैक से बकाया देयता के सम्बन्ध में सम्बन्धित बैक से वकाया धनराशि, जोकि बैक को प्राधिकरण द्वारा वापस की जानी है। बैक से लिखित रूप में प्राप्त कर प्राधिकरण में आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
5. **आवंटी को रू 10/- स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:-**

   - **मै शपथकर्ता/कर्ती प्राधिकरण को यह आश्वासन देता/ देती हुॅ कि में भवन के सापेक्ष बैक द्वारा दी गयी देता का भुगतान प्राधिकरण सीधे बैक के पक्ष में चैक के माध्यम से कर दे तथा मेरी बकाया धनराशि का भुगतान उस समय किया जाये जब में प्राधिकरण में भवन के सापेक्ष ऋण अदायगी के सापेक्ष बैक से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आवंटन से सम्बन्धित समस्त मूल प्रपत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत कर दुं।**